

सदैव यह प्रावधान रहेगा कि जहाँ कहीं भी इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "प्रथम पक्ष" एवं "द्वितीय पक्ष" प्रयुक्त हुए हैं वहाँ- वहाँ प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष शब्दों में उनके उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि, स्थानापन्न, विधिविहित प्रतिनिधि शामिल व पाबन्द होंगे।

विदित हो कि द्वितीय पक्ष एक निजी चिकित्सालय है, जो कि आर०एम०सी० देहरादून, उत्तराखण्ड के नाम से विख्यात है। चिकित्सालय का निर्माण प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल व चतुर्थ तल पर है जिसके निर्माण का क्षेत्रफल लगभग 501.8500 वर्ग मीटर तक विस्तृत है, जिसको संलग्न मानचित्र में स्पष्ट किया गया है। उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक सेवायें संचालित हो रही हैं तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने की आशंका नहीं है। द्वितीय पक्ष का उपरोक्त चिकित्सालय राज्य सरकार व भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली मानक के अनुसार प्रशिक्षण कार्य पूरा करता है, तथा चिकित्सालय वर्तमान में 50 शैय्याएँ (बैड) क्षमताधारी है।


विदित हो कि प्रथम पक्ष एक शैक्षिक संस्थान है जिसमें सभी नर्सिंग पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा है किन्तु चिकित्सालय निर्माण के अभाव में सभी नर्सिंग पाठ्यक्रम (बी०एस०सी० नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग, जी०एन०एम०, एम०एस०सी० नर्सिंग अन्य नर्सिंग पाठ्यक्रम) व सभी पैरामैडिकल पाठ्यक्रमों को संचालन करने में असफल रहा है। इसलिये प्रथम पक्ष को बी०एस०सी० नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग, जी०एन०एम०, एम०एस०सी० नर्सिंग (All Specialization) अन्य सभी नर्सिंग पाठ्यक्रम व पैरामैडिकल पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं के अभ्यासिक/प्रयोगात्मक प्रशिक्षण व संचालन हेतु द्वितीय पक्ष को 50 शैय्याएँ (बैड) के चिकित्सालय की आवश्यकता है। इसलिये प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के चिकित्सालय में 50 शैय्याएँ (बैड) प्रशिक्षण हेतु 04 वर्षों के लिये आवंटित की गयी हैं। यह 50 शैय्याएँ (बैड) प्रथम पक्ष (श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलौजी, पौधा, देहरादून) के लिये आवंटन किया गया है। यदि भविष्य में द्वितीय पक्ष शैय्याएँ (बैड) क्षमता बढ़ाते हैं तो 04 वर्ष पूर्व में प्रथम पक्ष (श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलौजी, पौधा, देहरादून) के अलावा किसी अन्य नर्सिंग व पैरामैडिकल संस्थान को यह शैय्याएँ आवंटन नहीं की जायेगी।

द्वितीय पक्ष घोषणा करता है कि 50 शैय्याएँ (बैड) श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलौजी, पौधा, देहरादून के अलावा किसी अन्य संस्थान को आवंटित नहीं किया गया है तथा आगामी 04 वर्षों तक भी किसी अन्य संस्थान को नर्सिंग व पैरामैडिकल आवंटित नहीं की जायेगी।


अतः यह स्मृति पत्र निम्न दर्शाता है:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष एक निजी चिकित्सालय है, जो सम्पत्ति आर०एम०सी० हॉस्पिटल, देहरादून उत्तराखण्ड के नाम से विख्यात है, जो एक चिकित्सालय है, जिसके भूतल में निर्मित प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल व चतुर्थ तल है। जिसके निर्माण का कुल क्षेत्रफल लगभग 501.8500 वर्ग मीटर तक विस्तृत है।
2. यह कि प्रथम पक्ष नर्सिंग पाठ्यक्रम (बी०एस०सी० नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग, जी०एन०एम०, एम०एस०सी० नर्सिंग (All Specialization), अन्य नर्सिंग पाठ्यक्रम) व सभी पैरामैडिकल के लिये शैक्षिक कार्य को संचालन अपने इंस्टीट्यूट से करेगा तथा उक्त पाठ्यक्रम के अभ्यासिक/प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु द्वितीय पक्ष के चिकित्सालय का उपयोग करेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष अपने चिकित्सालय को प्रथम पक्ष द्वारा संचालित उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिये प्रशिक्षण हेतु 04 वर्षों के लिए उपलब्ध करायेगा जिसके प्रतिफल का प्रकार शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर पक्षकारों के मध्य तय पाया जायेगा।


4. यह कि द्वितीय पक्ष का उपरोक्त चिकित्सालय राज्य सरकार व भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के अनुसार शैक्षिक कार्य करने के मानक को पूरा करता है तथा चिकित्सालय वर्तमान में 50 शैय्याएँ (बैड) क्षमताधारी है तथा वर्तमान में चिकित्सालय भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मानकों के अनुसार क्रियाशील है।
 5. यह कि उपरोक्त समयावधि 04 वर्षों के अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि पक्षकार चाहें तो दोनो पक्षों की सहमति से समयावधि आगे बढ़ाई जा सकती है।
 6. यह कि प्रथम पक्ष ने उपरोक्त चिकित्सालय का पूरी तरह निरीक्षण कर लिया है और वह पूर्णतः सन्तुष्ट होकर वर्तमान विलेख अंकित व निष्पादित कर रहा है।
 7. द्वितीय पक्ष हर वर्ष CMO से प्राप्त 50 शैय्याओं (बैड) का Clinical Establishment Certificate एवं 50 शैय्याओं (बैड) का Uttarakhand Pollution Control Board का Certificate प्रथम पक्ष को हर वर्ष देना होगा।
 8. यह MoU आज दिनांक 07.03.2026 से दिनांक 06.03.2030 (04 वर्षों) के लिये मान्य होगा।
 9. यहि प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा यह MoU बीच में ही निरस्त किया जाता है तो प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक वर्ष पूर्व पत्र देकर सूचित किया जाना आवश्यक होगा।
- अतः यह स्मृति पत्र आज दिनांक 07.03.2026 को स्थान देहरादून में साक्षीगण के समक्ष अंकित कर दिया है ताकि साक्ष्य रहे और समय पर काम आवे।





ह0 प्रथम पक्ष
श्रीनिवास नौटियाल
श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ
एजुकेशन साईंस एण्ड टैक्नोलॉजी
पौंघा, देहरादून (आधार नं०-999897747296)


ह0 द्वितीय पक्ष
डा० राजीव कुमार श्रीवास्तव
आर०एम०सी० हॉस्पिटल,
देहरादून उत्तराखण्ड
(आधार नं०-677678854249)

गवाहन:-


1. डा० शिवानंद पाटिल, निदेशक
श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साईंस
एण्ड टैक्नोलॉजी गांव-मझौन, पौंघा
जनपद-देहरादून
आधार नं० 717354337064


2. अभिनव नौटियाल,
श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साईंस
एण्ड टैक्नोलॉजी गांव-मझौन, पौंघा
जनपद-देहरादून
आधार नं० 482603741593



ATTESTED
(RAJEEV KUMAR)
Advocate & NOTARY
Dehradun
09/03/26